

iv 28
2024



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491358

LOCKED



202400999004409

न्यास विलेख (Instrument Of Trust)

न्यास पत्र

प्रस्तुत न्यास विलेख पत्र दिनांक 14-10-2024 को मैं सुरेंद्र कुमार गुप्त आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र श्री चन्द्रभान गुप्त निवासी ग्राम-कंसापुर, पत्रालय-महाराजगंज थाना, औराई, विकास खण्ड-औराई, तहसील-औराई, जनपद-भदोही, उ०प्र०, भारत-221314 द्वारा निर्मित किया।

विदित हो कि मैं सुरेंद्र कुमार गुप्त जनहित के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनी इच्छा से तथा सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ एक न्यास (Trust) का गठन करना चाहता हूँ, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

मैं सुरेंद्र कुमार गुप्त एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यासी नियुक्त करता हूँ -

- 1- सुरेंद्र कुमार गुप्त आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र श्री चन्द्रभान गुप्त निवासी ग्राम-कंसापुर, पत्रालय-महाराजगंज थाना-औराई, विकास खण्ड-औराई, तहसील-औराई, जनपद-भदोही, उ०प्र०, भारत-221314
- 2- सुनीता देवी आयु लगभग 50 वर्ष पत्नी श्री सुरेंद्र कुमार गुप्त निवासी ग्राम-कंसापुर, पत्रालय-महाराजगंज थाना-औराई, विकास खण्ड-औराई, तहसील-औराई, जनपद-भदोही, उ०प्र०, भारत-221314

Sumendra Kumar Gupta



Sumendra Kumar Gupta
Manager
S.G. Public School
Maharaigani-Bhadohi



CP 491359

3-अरमान जायसवाल आयु लगभग 32 वर्ष पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्त निवासी ग्राम-कंसापुर, पत्रालय-महाराजगंज थाना- औराई, विकास खण्ड-औराई, तहसील-औराई, जनपद भदोही, उ०प्र०, भारत-221314

4- संस्कार जायसवाल आयु लगभग 21 वर्ष पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्त निवासी ग्राम-कंसापुर, पत्रालय-महाराजगंज थाना- औराई, विकास खण्ड-औराई, तहसील-औराई, जनपद भदोही, उ०प्र०, भारत-221314

मैं संस्थापक सुरेन्द्र कुमार गुप्त सत्य निष्ठा एवं स्वविवेक से रू० 11000/- (ग्यारह हजार रुपये) न्यास कोष में जमा कर न्यास की स्थापना करता हूँ, जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा तथा उपरोक्त नियुक्त न्यासीगण 01 से 04 अर्थात् न्यास परिषद द्वारा उक्त धनराशि 11000/- न्यास हित में प्राप्त किया गया जिससे न्यास अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर सके।

उपरोक्त 11000/- धनराशि के साथ-साथ सभी धनराशि और सम्पत्तियां जो समय-समय पर अंशदान, दान, अनुदान, बक्षीश, उपहार इत्यादि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या न्यास द्वारा स्थापित या अन्य संस्थान निगम, संगठन, स्थानीय निकायों या सरकार द्वारा दिया जायेगा और सभी धनराशि या आय या क्षतिपूर्ति का दावा और सेवा तथा सभी सम्पत्तियों चाहे चल हो या अचल सब पर न्यास का अधिपत्य एवं स्वामित्व होगा तथा वह न्यास की सम्पत्ति होगी।

किसी भी परिस्थिति में न्यास के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु न्यास की संपत्ति का उपयोग न्यास के अलावा अन्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा न्यासीयों की व्यक्तिगत अथवा निजी उपयोग के लिये प्रयुक्त नहीं होगा। उक्त सम्पत्ति के रख-रखाव के लिये एक न्यास कोष होगा जो कि न्यासीयों अर्थात् न्यास परिषद के अधिकार एवं स्वामित्व में निहित होगा।

Surendra K. Gupta



Surendra K. Gupta
Manager
S.G. Public School
Maharajganj-Bhadohi





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491360

- 1- न्यास का नाम : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिठाई लाल चन्द्रभान गुप्त स्मृति सेवा न्यास
 2- पंजीकृत कार्यालय : ग्राम-कंसापुर, पत्रालय-महाराजगंज थाना- औराई, विकास खण्ड-औराई, तहसील-औराई, जनपद भदोही उ०प्र०, भारत-221314

3. न्यास के उद्देश्य

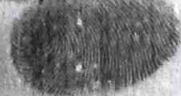
इस न्यास का उद्देश्य निम्नलिखित होगा तथा यह घोषित किया जाता है कि न्यास हित में न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के अतिरिक्त कोई न्यासी अथवा उसके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए क्रियाशील नहीं होगा।

1. न्यास का परम उद्देश्य समाज के सभी वर्ग/समुदाय एवं जातियों में व्याप्त सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, जातिगत एवं व्यक्तिगत असमानता को दूर करने तथा सभी में समानता लाने के लिए सभी व्यक्तियों के नैसर्गिक एवं मानवाधिकारों के साथ ही मौलिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण से आच्छादित करने तथा विधिक एवं नैसर्गिक न्याय की प्राप्ति के माध्यम को सरल, सहज एवं सुलभ बनाने हेतु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक नैतिक मूल्यों को अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हुए जन-जन तक शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, स्वास्थ्य, संरक्षण, रोजगार एवं निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

2. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक



Suryendra kv. G-18



Suryendra kv. G-18
 Manager
 S.G. Public School
 Maharajganj-Bhadohi

799 10.10.797

आवेदन सं: 202400999004409

न्यास पत्र

बही सं: 4

रजिस्ट्रेशन सं: 28

मथिलेश कुमार शुक्ल
स्टाम्प निका
वर्ष: 2024
तहसील औराई-मदोही
14-10-2024

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 1100 बाजारी मूल्य- 0 पंजीकरण शुल्क- 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 120 योग: 620

श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्त,
पुत्र श्री चन्द्रभान गुप्त
व्यवसाय: कृषि

Surendra k g

निवासी: नि० कंसापुर पो० महाराजगंज तह० औराई जिला भदोही 221314



मे यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/10/2024 एवं 11:12:15 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीनिवास तिवारी प्रभारी
उप निबंधक औराई
भदोही
15/10/2024

प्रिंट करें

निबंधक लिपिक
15/10/2024



Surendra k g
Manager
S.G. Public School
Maharaajganj Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491361

विकास केन्द्रों, पर्यावरण संरक्षण केंद्रों की स्थापना कर उनका नामकरण करते हुए विकास करना तथा किसी सरकारी, अर्द्ध सरकारी या गैर सरकारी विभाग या संस्थाओं से सम्बद्ध/आबद्ध करते हुए उनका प्रबंधन एवं संचालन आदि करना तथा आवश्यक होने पर सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं से आवश्यकतानुसार न्यास द्वारा स्थापित शिक्षा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं संरक्षण जैसी योजनाओं का संचालन करने वाली संस्थाओं का पंजीकरण व, सम्बद्धीकरण कराते हुए आवश्यकतानुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त कर संचालन करना।

3. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक एवं प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

4. नागरिकों विशेष कर बालकों, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं संवर्गीय विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।

5. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास, सुविधाओं आदि की व्यवस्था करना।

6. विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएं लेना।

7. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पत्रिकाओं, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, संपादन, प्रकाशन, मुद्रण वितरण आदि करना।

8. शिक्षा एवं शिक्षण पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करना।



Sunendra K. G. G. P.



Sunendra K. G. G. P.
Manager
S.O. Public School
Mehrauli, Ghaziabad

800

आवेदन सं०: 2024009990104409

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 28

मिथिलेश कुमार गुप्त
कृषि स्टाफ विवेता

तहसील औराई-भदोही
नं०-268/2020
14-10-2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसारेण

न्यासी: 1

श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्त, पुत्र श्री चन्द्रभान गुप्त

निवासी: नि० कंसापुर पो० महाराजगंज तह० औराई जिला
भदोही 221314

व्यवसाय: कृषि Surendrak Gupta



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री प्रमोद कुमार दूबे, पुत्र श्री महेन्द्र प्रसाद दूबे

निवासी: नि० दिघवट तह० औराई जिला भदोही

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2



श्री सजय कुमार सिंह, पुत्र श्री अनन्त सिंह

निवासी: नि० उदयनपुर तह० औराई जिला भदोही

व्यवसाय: कृषि



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीनिवास तिवारी प्रभारी

उप निबंधक औराई

भदोही

15/10/2024

निबंधक लिपिक भदोही

15/10/2024

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:



प्रिंट करें

Manager
S.G. Public School
Maharajganj-Bhadohi

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491362

9. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स/कैंसर जागरूकता कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियो सम्मेलन, प्रतियोगितायें, बैठकें, विशेष कक्षाएँ, छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।

10. समाज कल्याण विभाग, नावार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स/कैंसर उपचार पर कार्य करना।

11. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे-सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, टाइपिंग/शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर प्रशिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक वायर मैन, रेडियो, पंखा/ए०सी/रेफ्रिजरेटर/टी०वी० मैकेनिक, हीजल एवं कार/बस/ट्रक/मोटरसाइकिल मैकेनिक, आदि जैसे केंद्रों की स्थापना व शिक्षा प्रदान करना।

12. सामाजिक न्याय के विकास एवं राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई०, यू०पी०बोर्ड एवं विभिन्न राज्य से सम्बंधित शिक्षा बोर्डों से शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत मान्यता प्राप्त करके प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, आई०टी०आई० कॉलेज, पुस्तकालय, फार्मसी, नर्सिंग महाविद्यालय एवं अन्य मेडिकल सम्बंधी संस्थाओं की स्थापना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना करना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध लेब टेक्नीशियन, सम्बद्ध प्रबन्ध आदि करना।

13. व्यक्ति विशेष या अन्य सोसाइटी न्यास द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों को अपने न्यास द्वारा संचालित करना एवं न्यास में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित/संमेलित करना।

14. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करना अथवा प्रदान करना।

15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन एवं उसका प्रचार करना।



Sumendra Kumar G-16



Sumendra Kumar G-16
Manager
S.G. Public School
Maharajgani, Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491363

16. पर्यावरण सुधार हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी देना एवं सेमिनार आयोजित करना।
17. पुस्तक, पुस्तिकायें, पत्र-पत्रिकायें, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित व विक्रीत करना।
18. न्यास द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क / मूल्य / निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
19. पत्राचार द्वारा, अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा तत्संबंधित आवश्यक व्यवस्थायें करना व दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम संचालन करना।
20. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊर्जा सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।
21. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार करना।
22. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन तथा क्रियान्वयन करना।
23. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।
24. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/विधि महाविद्यालयों / इंजीनियरिंग कालेजों / प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों आदि के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान करना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, न्यासीयों एवं न्यास मण्डल



Surendra Kumar Guler

Surendra Kumar Guler
Manager
S.G. Public School
Maharajganj-Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491364

। बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था / सभिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति / संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्तियों एवं दायित्वों Assets and Liabilities) मानी जायेगी।

25. न्यास के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना उसका न्यास के उद्देश्य में प्रयोग करना।

26. न्यास जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। न्यास यथासम्भव अपनी सेवाएं/ वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। न्यास द्वारा जनहित में सड़क, खण्डन्वा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि का प्रशिक्षण, उत्पादन एवं प्रचार करेगा। दुग्ध शोध प्रशिक्षण संस्थान/डेयरी फॉर्म आदि का जनहित में स्थापना करना/जागृत करना किसी भी तरह के लघु उद्योगों के संदर्भ में जन सामान्य को शिक्षित करना व जनहित में स्थापित करना।

27. न्यास केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं न्यास के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा एवं बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कल्याण एवं सुधार हेतु रोजगार केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की स्थापना एवं प्रचार-प्रसार करना।

28. न्यास अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

29. न्यास द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं का संचालन करना।

30. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहाय एवं जरूरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गों, अनु० जातियों, अनु० जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघशासित राज्यों में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्प्यूनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थाओं,



Sanendra kr. G-14



Sanendra kr. G-14
Manager
S.G. Public School
Maharajmari, Dhanbad



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491365

- महिला कल्याण योजनायें, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।
31. कृषि एवं कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलिक्लिनिक का निर्माण एवं स्थापना, नवीन बीजों/दवाइयों एवं टेक्नोलॉजी के प्रयोग की जानकारी देना एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना।
32. खाद्य प्रसंस्करण जैसे-जैम, जेली, मुरब्बा, अचार तथा विभिन्न प्रकार के फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना, उत्पादन व मार्केटिंग करना।
33. पशुओं और पक्षियों की सेवा तथा देखभाल हेतु पशु आश्रय, गौशालाओं, जीवदया संस्थाओं की स्थापना, समर्थन, संचालन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना।
34. शारीरिक रूप से विकलांग, अंधे, बूढ़े, बहरे, असहाय एवं अक्षम या मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं का विकास एवं स्थापना, संचालन, अनुरक्षण करना एवं उनको शिक्षा, भोजन, आवास, कपड़े या अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाना एवं उनके पुनर्वास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना।
35. प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, दुर्भिक्ष, तूफान, (चक्रवात), भूकम्प, बाढ़, आगजनी, महामारी आदि के समय पीड़ित जरूरतमन्द लोगों को सहायता एवं राहत प्रदान करना तथा ऐसे राहत कार्यों में लगी संस्थाओं को दान एवं अन्य सहायता प्रदान करना।
36. छात्रावास, वृद्धाश्रम, मरीज गृह, वाटर पार्क, होटल, रेस्टुरेंट आदि का निर्माण व सुविधा को उपलब्ध कराना।

न्यास का संविधान



Sunendrakumar Gupta



Sunendrakumar Gupta
Manager
S.G. Public School
Maharajganj-Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491366

प्रारम्भिक उपबन्ध-

1. संस्थापक द्वारा उपरोक्त नियुक्त न्यासीगण क्रमांक 01 से 04 तक को संयुक्त रूप से संगठित करते हुए न्यास के सर्वोच्च एवं स्थायी न्यास परिषद् का गठन किया जाता है जिसका विघटन किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। जिसमें न्यास के वितीय, विधायी, कार्यपालकीय, एवं प्रशासनिक निरन्तरण के साथ ही न्यास की चल-अचल सम्पत्ति से सम्बंधित सम्पूर्ण स्वामित्व तथा विधिक अधिकार एवं उत्तरदायित्व सदैव निहित रहेंगे। श्री सुरेंद्र कुमार गुप्त को इस न्यास का प्रधान न्यासी / अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है जो कि न्यास एवं न्यास परिषद् में प्रधान न्यासी/अध्यक्ष के रूप में आजीवन नियुक्त रहकर न्यास एवं न्यास परिषद् के विधिक अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन अपने नाम, पदनाम, हस्ताक्षर अथवा जैव पहचान चिन्ह व मुद्रा (मुहर) के माध्यम से करते रहेंगे। भविष्य में न्यास परिषद् के साथ ही न्यास द्वारा स्थापित, गठित, अधिग्रहित एवं सम्बद्ध संस्थानों के प्रबंध समितियों का गठन कर विभिन्न पदों का सृजन करते हुए उनके पद, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर आवश्यकतानुसार स्थायी अथवा अस्थायी पदों पर मनोनयन प्रक्रिया द्वारा न्यास परिषद् के संकल्प प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति प्रदान कर नियुक्ति करेंगे।

2. वर्तमान प्रधान न्यासी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में विधिक रूप से अक्षम होने की स्थिति यथा शारीरिक रूप से अस्वस्थ एवं कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में या अन्य कारणों से अपनी इच्छानुसार आवश्यक होने पर अपने पद, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का प्रत्यायोजित विधायन द्वारा लिखित रूप से संस्थापक द्वारा नियुक्त न्यासीगण क्रमांक 01 से 04 में से किसी भी एक न्यासी को एक निश्चित समय के लिए अस्थायी रूप से अपने विधिक अधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का हस्तांतरण करने में सक्षम होंगे। अस्थायी रूप से नियुक्त कोई भी पदाधिकारी किसी भी दशा में (जबतक ऐसा करने के लिए लिखित रूप से अधिकृत न किया गया हो) कोई भी नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे।



Sumendra kr Gupta

Sumendra kr Gupta
Manager
S.G. Public School
Maharajganj, Prayagraj



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

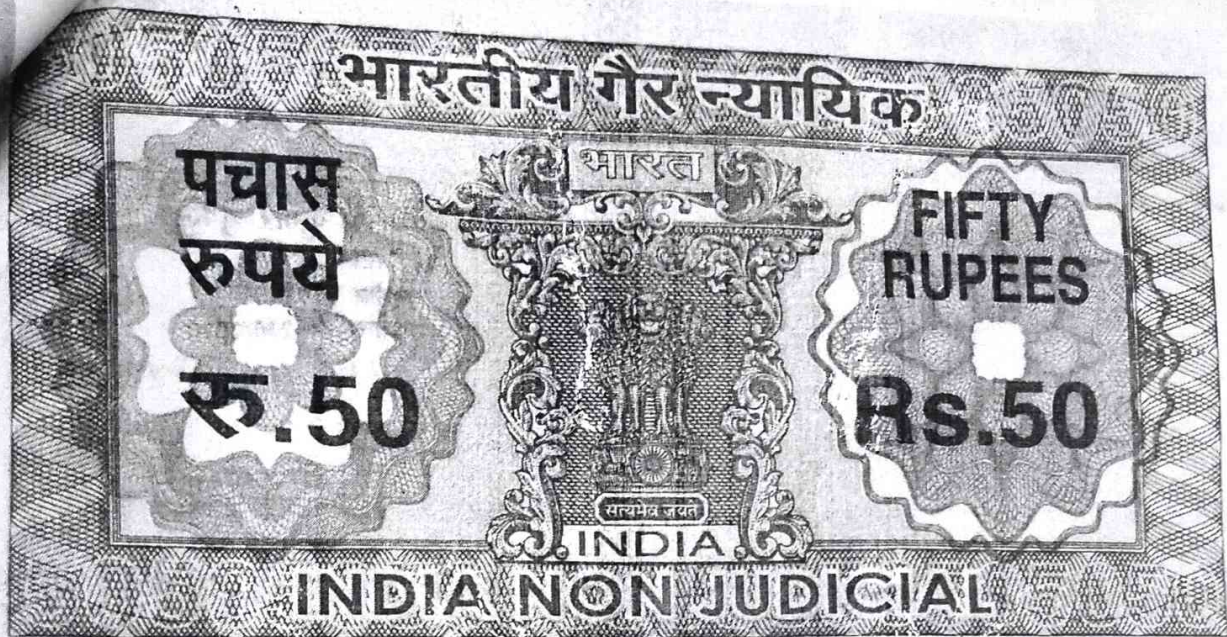
CP 491367

3. न्यास द्वारा भविष्य में किए जाने वाले संपत्ति अंतरण विषयक यथा किसी विधिक व्यक्ति चल-अचल संपत्ति का क्रय, विक्रय, दान, विक्रय अनुबंध, ऋण के माध्यम से संपत्ति के अंतरण आदि एवं अन्य समस्त महत्वपूर्ण क्रिया कलाप के लिए न्यास परिषद द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प प्रस्ताव पारित कर न्यास परिषद के प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का अनुमोदन अंतिम रूप से अनिवार्य होगा।
4. किसी भी नये न्यासीगण के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को 5,000/- (पाँच हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट (न्यास के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा, जिसे न्यासीगण के समक्ष रखा जायेगा। न्यासीगण द्वारा 3/4 बहुमत से स्वीकृत होने पर ही उसे न्यासी नियुक्त किया जाएगा। किन्हीं कारणों से न्यासी बनाये जाने की स्थिति में आवेदक की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
3. प्रधान न्यासी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण -
 1. प्रधान न्यासी / अध्यक्ष का कर्तव्य है कि अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की व्यवस्था/घोषणा कर दे।
 2. प्रधान न्यासी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का पद न्यासीयों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
 3. किसी भी व्यक्ति के प्रधान न्यासी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस न्यास विलेख के प्रधान न्यासी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।
 4. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय तो अन्यथा स्थिति में प्रधान न्यासी/अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार गुप्त के माध्यम से पक्षों उनके विधिक/नैसर्गिक



Surindra Kumar Gupta

Surindra Kumar Gupta
Manager
S.G. Public School
Maharaigani, Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491368

उत्तराधिकारी की ही प्रधान न्यासी/अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जाएगी। नव नियुक्ति प्रधान न्यासी/अध्यक्ष को 6 माह के अन्दर वर्तमान प्रधान न्यासी/अध्यक्ष के अन्य विधिक एवं नैसर्गिक उत्तराधिकारियों की अनापत्ति/सहमति आवश्यक होगी।

5. यह कि प्रधान न्यासी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी प्रधान न्यासी/अध्यक्ष को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके घोषित कर दे। प्रधान न्यासी/अध्यक्ष यह व्यवस्था उपनिबंधक/रजिस्टार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत प्रधान न्यासी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने न्यासीगण में से किसी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है जिसके विधि सम्मत पंजीकरण के पश्चात् वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

7. कार्यरत प्रधान न्यासी/अध्यक्ष तबतक अपने न्यासीगण में से किसी को अपने पद एवं अधिकार के हस्तान्तरण के विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतन्त्र है, जबतक कि विधिक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

8. कार्यरत प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जाएगा।

4. प्रबंध समितियों का गठन -



Surinder K. Gupta



Surinder K. Gupta
Manager
S.G. Public School
Maharajganj Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491369

1. यह कि प्रधान न्यासी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु प्रबंध समितियों का गठन, प्रशासन, नियंत्रण एवं विघटन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम सदस्यों की संख्या प्रधान न्यासी / अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर होगा।
2. यह कि प्रधान न्यासी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों का मनोनयन करते समय उनका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। न्यास हित दे-विरुद्ध व अनुशासनहीनता अथवा कार्यक्षमता पाए जाने पर प्रधान न्यासी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्य अति पूर्ण होने से पूर्व भी न्यासीगण की राय / बहुमत से प्रबंध समितियों के पद से हटा सकता है। प्रबंध समितियों की कार्य अवधि प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है तथा प्रबंध समितियों, प्रधान न्यासी/अध्यक्ष के अग्रह तक/ प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगे।
3. यह कि प्रधान न्यासी जब भी उचित समझे प्रबंध समितियों की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यासी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि प्रबंध समितियां उन्हीं विषयों पर विचार करेगी तथा सुझाव देगी, जिसके लिए प्रधान न्यासी /अध्यक्ष द्वारा उनका गठन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि प्रबंध समितियों द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रधान न्यासी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम व सर्वमान्य होगा।



Seemendra Kumar Gola

Seemendra Kumar Gola
Manager
S.G. Public School
Maharajganj, Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491370

6. न्यास के सर्वोच्च एवं स्थायी न्यास परिषद द्वारा स्थापित गठित, अधिग्रहित प्रबंध कार्यकारिणी समितियों व अन्य समिति एवं संस्था, न्यास विलेख द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था व न्यास परिषद के अधीन होंगे। किसी भी प्रकार से प्रबंध कार्यकारिणी समिति एवं उपसमिति एवं संस्थानों के निर्णय द्वारा बनाये गए गए नियम, उपनियम न्यास विलेख में उल्लिखित विधि व्यवस्था के प्रतिकूल अथवा अतिक्रमणकारी होने की दशा में स्वतः शून्य माने जाएंगे।

प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार -

प्रधान न्यासी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह न्यास के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर संशोधित/स्वीकृत/निरस्त/अस्वीकृत करने में सक्षम होगा। प्रधान न्यासी/अध्यक्ष न्यास के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई आदेश अथवा दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। प्रधान न्यासी/अध्यक्ष अपने विशेषाधिकार के तहत न्यास व न्यास परिषद के विस्तार हेतु एक या एक से अधिक (स्थायी/अस्थायी) न्यासी की नियुक्ति न्यास परिषद द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर अनुमोदन प्रदान करते हुए नियुक्त करने में सक्षम होंगे।

प्रधान न्यासी का कार्यालय एवं सुविधाएं - न्यास का कार्यालय ही प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का कार्यालय होगा।

कार्यक्षेत्र -

न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

सचिव/उपसचिव की नियुक्ति -

1. यह कि प्रधान न्यासी/अध्यक्ष न्यास के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए एक सचिव एवं अध्यापक होने पर एक अथवा अधिक सचिवों एवं उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।



Surendra Kumar Singh



Surendra Kumar Singh
Manager
S.G. Public School
Maharajganj, Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491371

2. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएँ, कार्य प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, प्रधान न्यासी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। प्रधान न्यासी/अध्यक्ष/न्यासीगण के बहुमत से उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यक्षमता या न्यास के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियाँ कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।
9. उपाध्यक्ष की नियुक्ति-
 1. प्रधान न्यासी/अध्यक्ष/न्यास के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए आवश्यक होने पर एक अथवा अधिक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा।
 2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएँ, कार्य, नियम प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
 3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, प्रधान न्यासी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। प्रधान न्यासी/अध्यक्ष किसी भी समय उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यक्षमता या न्यास के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियाँ कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।
10. प्रधान न्यासी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य -



Sunendra Kumar Gupta



Sunendra Kumar Gupta
Manager
S.G. Public School
Maharajganj-Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491372

यह कि इस विलेख के अन्तर्गत प्रधान न्यासी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रधान न्यासी/अध्यक्ष को निम्न अधिकार व कर्तव्य भी प्राप्त होंगे-

(क) प्रबंध समितियों की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) न्यास के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए न्यास के लिए उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस विलेख में उल्लिखित न्यास के रद्द होना एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन करना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

11. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु प्रबंध समितियों की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना। परन्तु उपाध्यक्ष बिना प्रधान न्यासी/अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुमति के कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता जबतक की उसे ऐसा करने के लिए लिखित रूप से अधिकृत न किया गया हो।

12. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

न्यास के समस्त कार्यों के लिए न्यास का सचिव अन्तिम रूप से उत्तरदायी है। न्यास के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं-

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी आवश्यक उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. न्यास के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यवाहियों एवं दिन-प्रतिदिन की विविधियों पर नियन्त्रण रखना।



Sundaram Bv. 9/11



Sundaram Bv. 9/11
Manager
S.G. Public School
Maharajganj-Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491373

3. न्यास के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न कल्याणकारी उद्देश्यों का पूर्ण करने हेतु कोष्ठों / विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना।
5. न्यास संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्त करना।
6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण / प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन करना।
9. सचिव द्वारा किसी प्रकार का लिया गया निर्णय प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।
13. उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-
 1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
 2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हैं।
 3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार / कर्तव्यों का पालन करना।



Serendyia K. G. J.



Serendyia K. G. J.
Manager
S.G. Public School
Maharajganj-Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491374

14. बैंक एकाउन्ट-

1. न्यास का खाता किसी एक अथवा आवश्यकतानुसार अधिक बैंक में खोला जा सकेगा। प्रधान न्यासी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। सामान्यतया खाता प्रधान न्यासी/अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष/महासचिव/न्यासी (प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा नामित किसी न्यासी) का संयुक्त रहेगा एवं संयुक्त रूप से संचालित होगा।

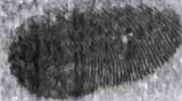
2. न्यास द्वारा स्थापित, गठित, अधिग्रहित एवं सम्बद्ध प्रबंध कार्यकारिणी समितियों अथवा विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम/इकाई कार्यालय का पृथक नाम से किसी भी बैंक में खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। जिसके लिए न्यास परिषद द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से उपरोक्त से सम्बंधित एक या एक से अधिक व्यक्तियों को अधिकृत कर खाते का संचालन किया जाएगा।

15. विधिक कार्यवाही-

1. न्यास की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या न्यास के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो न्यास को विधिक राय देने अथवा विभिन्न न्यायालयों में न्यास का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा यदि आवश्यक हो तो न्यासी/गणों की सहमति से अथवा सचिव/अध्यक्ष/अस्थाई रूप से विधिक प्रतिनिधि/अधिवक्ता की नियुक्ति किया जा सकेगा।

16. सम्पत्ति सम्बन्धी-

Sumendra kr. G.P. 2



Sumendra kr. G.P. 2
Manager
S.G. Public School
Maharajganj, Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491375

1. न्यास चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक / व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. न्यास की ओर से चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यास की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख, विलेख बनाने हेतु प्रधान न्यासी/अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. न्यास का अध्यक्ष प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की ओर से चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. न्यास चल-अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।
5. न्यास किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है। दक्ष स्थिति में स्वयं न्यास के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।
6. न्यास धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजित कर सकता है।
7. चल-अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Guarantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase), अनुज्ञप्ति (License), बन्धक (Mortgage), भारित (Charge), गिरवी (Pledge), विभाजित (Partition) आदि कर सकता है / ले सकता है / दे सकता है।

Surendra K. Gupta



Surendra K. Gupta
Manager
S.G. Public School
Maharajganj-Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491376

17. अन्य उपबन्ध

सी०बी०एस०ई० एवं आई०सी०एस०ई० से मान्यता हेतु राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अनुपालन के सन्दर्भ में-

क. विद्यालय की पंजीकृत व्याज/समिति का समय-समय पर आवश्यकतानुसार नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली/ कौंसिल फ़ॉर दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्सामिनेशन प्राप्त होने की दिशि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ङ. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

च. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Surendra K. Updy



Surendra K. Updy
Manager
S.G. Public School
Maharajganj, Prayagrah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491377

- छ. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे न्यास/संस्था उनका पालन करेगी।
- ज. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।
- झ. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- ब. उपर्युक्त क्रम 'क' से 'झ' में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

18. विशेष -

न्यास विलेख द्वारा स्थापित न्यास के शैक्षिक, विधायी, प्रशासनिक एवं कार्यपालकीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन से सम्बंधित अथवा अन्य विषयों पर सृजित विधि व्यवस्था में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन/रूपांतरण के लिए न्यास के प्रधान न्यासी/ अध्यक्ष सदैव के लिए अधिकृत होंगे जो कि न्यास विलेख में आंशिक या पूर्ण रूप से संशोधन/परिवर्तन के लिए न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के माध्यम से पूर्ण रूप से सक्षम होंगे जिसका पंजीकरण सुसंगत विधि व्यवस्था के अंतर्गत कराना अनिवार्य होगा परंतु न्यास के सामान्य प्रशासन हेतु न्यास परिषद द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाये जाएंगे जो कि न्यास द्वारा स्थापित, गठित, अधिग्रहित प्रबंध कार्यकारिणी समितियों पर प्रभावी होंगे जिसके पंजीकरण की विधिक बाधता नहीं होगी।

(क) इस न्यास के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/कार्यक्रम/ इकाई/कार्यालय / संस्था / उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीउ ऑफ़ रजिस्ट्रार "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिठाई लाल चन्द्रभान गुप्त स्मृति रोड"



Surendra K. G. 13

Surendra K. G. 13
Manager
S.G. Public School
Maharajganj-Bhadohi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491378

न्यास के उद्देश्य एवं निमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगा।

(ख) प्रधान न्यासी/अध्यक्ष यदि जरूरी समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस न्यास विलेख के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकता है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकता है। इस सम्बंध में प्रधान न्यासी का विवेक/व्यवस्था ही अंतिम होगी।

(ग) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास विलेख में उल्लिखित विधि व्यवस्था के साथ ही न्यास के वित्तीय/विधायी, प्रशासनिक एवं कार्यपालकीय विधिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों के सम्यक निर्वहन के साथ ही अन्य विषयों पर जिसका उल्लेख न्यास विलेख की विधि व्यवस्था में अस्पष्ट, शून्य अथवा विवादास्पद होने की स्थिति में प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। न्यास परिषद द्वारा स्थापित समिति/उपसमिति प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा भंग किए जाने की दशा में प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा उक्त समिति/उपसमितियों में नियुक्त समस्त सदस्यों को प्राप्त सभ्य अधिकार स्वतः ही शून्य एवं समाप्त हो जायेंगे।

(घ) न्यास के न्यास परिषद द्वारा स्थापित, गठित, अधिग्रहित एवं सम्यक् प्रबन्धकार्यकारणी समिति व उपसमिति एवं सम्बद्ध संस्थानों का विघटन कर उनके विधिक कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं अधिकारों को प्रधान न्यासी/अध्यक्ष न्यास परिषद में निहित कर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति करने के अधिकारी होंगे।

Sumendra kv. G-14



Sumendra kv G-14
Manager
S.G. Public School
Maharajganj, Phodari



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 491379

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिठाई लाल चन्द्रभान गुप्त स्मृति सेवा न्यास (Instrument Of Trust) एवं उसमें सन्निहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिठाई लाल चन्द्रभान गुप्त स्मृति सेवा न्यास के उद्देश्य एवं निमावली एतद द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित स्वीकृति आत्मार्पित एवं तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित की जाती है।

कि उक्त न्यास विलेख (Instrument Of Trust) को पढ़कर, समझकर एवं व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों कई उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

नोट- न्यास का मुख्यालय न्यास का भाग नहीं है वर्तमान समय में संग्रामिक द्वारा न्यस्त की गई उपरोक्त वर्णित धनराशि रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार रुपये मात्र) के अतिरिक्त अन्य कोई भी चल-अचल संपत्ति न्यास के स्वामित्व में नहीं है।

लेखक एवं लेखक स्वी :- SAURAV SHU

ADVOCAT
UP00075/14
District Bar Association
Gyanpur, Bhadohi
Mo:- 9938820122



प्रमोद कुमार झा
श्री गुरुदेव लाल झा
निव-हरदोहा
9889815108



हनुमन्त कुमार सिंह
स्व-कैलाश नगर सिंह
नि-सरखतखाना
8318998350

Sumendra k. b. b.



Sumendra k. b. b.
Manager
S.G. Public School
Maharajganj

क्र. 797

50

आवेदन सं०: 202400999004409

विधिलेख
स्थान वि०
तहसील औराई
तारीख 15/10/2024
14-10-2024

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 17 के पृष्ठ 183 से 226 तक क्रमांक 28 पर दिनांक 15/10/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीनिवास तिवारी प्रभारी
उप निबंधक : औराई
भदोही
15/10/2024



Sensu d...
Manager
S.G. Public School
Bhadohi